कार्यालय विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
विधान भवन लखनऊ

संख्या– 1896 / वि०प०–65(अधि.) / 2023 विज्ञापन संख्या–1 / 2024
दिनांक: 25 जून, 2024

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में मार्शल के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व में जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या–3778 / वि०प०–65 (अधि0) / 2023 विज्ञापन संख्या–1 / 2023 दिनांक 30.12.2023, को अपरिहार्य कारणों से माननीय सभापति जी के आदेशानुसार निरस्त की जाती है।

2. उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में मार्शल के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु निम्न विवरण के अनुसार भारतीय नागरिकों से पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा :–

1. पद का नाम – मार्शल
2. वेतनमान – रु 56,100–1,77,500 (पे मैट्रिक्स लेवल–10)
3. आयु सीमा– 30 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा ऐसी अन्य श्रेणियों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय के अभ्यर्थियों के मामले में विहित अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

4. शैक्षिक अर्हता– अनिवार्य

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि। इसके अतिरिक्त किसी पुलिस, प्रान्तीय रक्षक दल, होमगार्ड, प्रादेशिक सेना, पी.ए.सी., एन.सी.सी. जल–थल अथवा वायु सेना का गजटेड या रिलीज्ड कमीशन्ड आफिसर अथवा किसी

2/6/24

विधान मण्डल के मार्शल के पद पर सेवा का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव।

5. भर्ती की प्रक्रिया– उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के नियम–6 एवं अन्य सुसंगत नियमों के प्राविधानानुसार पूर्ण की जायेगी।

6. चरित्र – पद पर चयन/नियुक्ति हेतु निम्न कारण होने पर व्यक्ति अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा–

(क) ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या

(ख) उन्मुक्त दिवालिया है, या

(ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है, या

(ड.) ऐसी कोई अन्य निरर्हता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

7. अभ्यर्थी के अर्ह अथवा अनर्ह होने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप विधान परिषद की वेबसाइट www.upvidhanparishad.nic.in पर उपलब्ध है।

8. आवेदन पत्र का प्रारूप परीक्षा सेल के अध्यक्ष के कक्ष संख्या–127ए मुख्य विधान भवन, लखनऊ से भी प्राप्त किया जा सकता है।

२।७।२१

9. उपर्युक्तानुसार निर्धारित आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से विलम्बतम् दिनांक 26 जुलाई, 2024 को कार्यालय अवधि अर्थात अपराह्न 5:30 बजे तक, अध्यक्ष परीक्षा सेल, विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय कक्ष संख्या–27 मुख्य विधान भवन, लखनऊ–226001 के पते पर पहुंच जाना चाहिये ।

10. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, अपूर्ण होने अथवा निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(राजेश सिंह)
विशेष सचिव एवं अध्यक्ष परीक्षा सेल

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में मार्शल के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित आवक्ष फोटो चिपकायें

1. विज्ञापन संख्या –

2. आवेदित पद का नाम --

3. अभ्यर्थी का नाम –

   (क) हिन्दी में –

   (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में –

4. पिता/पति का नाम –

5. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित) –

   (ख) (01.07.2023) को आयु –............वर्ष...............माह................दिन

6. (क) शैक्षिक अर्हताओं का विवरण –
   (हाईस्कूल तथा उच्च परीक्षायें)

परीक्षा या उपाधि	संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	श्रेणी	वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक/ग्रेड	प्रतिशत	प्रदत्त प्रमाण–पत्र संख्या
हाईस्कूल							
इण्टरमीडिएट							
स्नातक							
स्नातकोत्तर							
अन्य शैक्षिक अर्हता							

(ख) पुलिस, प्रांतीय रक्षक दल, होमगार्ड, प्रादेशिक सेना, पी.ए.सी., एन.सी.सी., जल–थल अथवा वायु सेना के गजटेड या रिलीज्ड कमीशण्ड आफिसर अथवा किसी विधान मण्डल के मार्शल के पद पर सेवा का कम से कम 05 वर्ष के अनुभव का विवरण –

पदनाम तथा तिथि सहित सेवा अवधि–

(ग) विशिष्ट अर्हताओं का विवरण –

7. पता –

(क) स्थायी पता–

(ख) पत्र व्यवहार का पता–

(ग) दूरभाष संख्या–

(घ) ई–मेल पता--

8. अभ्यर्थी वर्तमान/विगत नियुक्तियों का विवरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें इसके अतिरिक्त सरकारी सेवारत अभ्यर्थी सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

9. श्रेणी (अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के कमजोर वर्ग (EWS))।

नोटः आरक्षण का दावा किये जाने पर, प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।

10. सेवारत्/सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को सेवाकाल में नियोक्ता अथवा न्यायालय द्वारा यदि कोई दण्ड, प्रतिकूल प्रविष्टि आदि प्रदान की गयी हो तो उसका तिथि सहित विवरण दिया जाय।

11. सेवारत रहने के दौरान पद के राजपत्रित होने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

12. आवेदन–पत्र के साथ शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। प्रतियां संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

२१।७।२१

13. अन्य विवरण, यथा प्रकाशित शोध पत्र अथवा राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कोई विशिष्ट सम्मान आदि, यदि कोई हो –

तिथि...................................... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर..............................

स्थान...................................... अभ्यर्थी का नाम.....................................

घोषणा पत्र

मैं..घोषणा करता/करती हूँ कि–(1) मैंने विज्ञप्ति में की गई पात्रता की शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और उक्त शर्तें मुझे मान्य हैं। उक्त शर्तों को मैं पूर्ण करता/करती हूँ। (2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही है और मैनें इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये या कोई मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाना पाया जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जांय। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर..

अभ्यर्थी का नाम..